न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 123/24 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/344

उनवान

1. मुकेश पुत्र रुपराम
2. महेश पुत्र रुपराम

} जाति ब्राह्मण निवासी नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. वेदराम पुत्र विजयराम जाति ब्राह्मण निवासी नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

2. श्यामसिंह पुत्र उदयराम
3. अनिल कुमार पुत्र उदयराम

} जाति ब्राह्मण निवासी नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 121/2012 बउनवानी श्यामसिंह बनाम मुकेश में पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 19.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स 121/2012 बउनवानी श्यामसिंह बनाम मुकेश में पारित आदेश दिनांक 20.06.2024, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 580, 584, 585, 586, 587, 1053, 1055 किता 7 रकबा 1.37 हैक्टर वाके ग्राम नौगाया तहसील भरतपुर स्थित है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण/गैरसायलान केवल 1/3 हिस्से के खातेदार है और 1/3 हिस्सा पर ही कब्जा काश्त है लेकिन गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण/गैरसायलान सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा पर कब्जा करना चाहते हैं और वादीगण सायलान को बेदखल करना चाहते है। वदी वजह रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण सायलान ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण गैरसायलान को ताफैसला मूलवाद तक पाबन्द किया जावे कि वे आराजी मुतनाजा में वादीगण सायलान को काश्त करने से नही रोके आराजी मुतनाजा को रहन–बय–मुन्तकिल न करें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2024 को निर्णय पारित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हुए सायलान का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा एक रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ कोई भी पाबंदी जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि स्वयं सायलान संख्या 1 व 2 अपने दावे में उनके हक में रुपराम द्वारा की गयी तथा कथित वसीयत को गलत मानते हुये राजीनामा दे गये तो ऐसी सूरत में जब स्वयं वसीयतधारी ही वसीयत को गलत बता रहे हैं तो उस वसीयत के आधार पर कोई भी आदेश पारित करते हुये रिकार्डेड खातेदारान को पाबन्द नहीं किया जा सकता। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि उक्त आदेश जैर अपील में अपीलान्ट को नहीं सुना गया एवं बिना सुने ही आदेश पारित किया है क्योंकि उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.ओ.एक्ट. में दिनांक 18.09.2019 को तारीख पेशी 23.09.2019 लगायी गयी उसके बाद कोई भी तारीख नहीं लगाई गई और न ही कोई भी आर्डरशीट ही लिखी गई और न ही दिनांक 20.06.2024 को अपीलान्ट के वकील की बहस सुनी गई बिना अपीलान्ट के वकील को सुने ही उभयपक्ष की उपस्थिति दिखाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.10.2024 को उस समय हुई जब असल रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान में केबियट पेश की जिसका रजिस्टर्ड नोटिस अपीलान्ट को दिनांक 10.10.2024 मिला नोटिस मिलने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 15.10.2024 को नकल प्रार्थना–पत्र लगाया जिसकी नकल मिलने पर यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे और अपील अवधि अन्दर शुमार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 580/0.18, 584/0.17, 585/0.24, 586/0.12, 587/0.15, 1053/0.20, 1055/0.21 किता 7 रकबा 1.37 हैक्टर ग्राम नौगाया तहसील भरतपुर है। जिस पर पूर्व में श्री रुपराम पुत्र रामप्रसाद पिता प्रतिवादी गैरसायलान/अपीलान्ट्स थे। चूंकि उक्त आराजी चाचा रामजीलाल की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की थी इसलिये रामप्रसाद व उनके भाई श्री रामजीलाल के मरने के बाद उस पर रुपराम उदयराम व विजयराम तीनों भाई बहिस्सा बराबर–बराबर काश्त करने लगे किन्तु आपसी मनमुटाव होने के कारण आराजी मुतनाजा पर रुपराम ने रामजीलाल की वसीयत के आधार पर अपने नाम इन्द्राज खातेदारी अंकित करा ली थी। लेकिन बाद में रुपराम ने तय किया कि आराजी मुतनाजा में 1/3 हिस्सा उदयराम का, 1/3 हिस्सा विजयराम का एवं 1/3 हिस्सा स्वयं रुपराम का है और उसी अनुसार दिनांक 12.07.2004 को एक वसीयतनामा तहरीर कर तस्दीक कराया जिसमे रुपराम ने अंकित किया कि उसके मरने के बाद आराजी मुतनाजा में श्यामसिंह व अनिल कुमार वादीगण सायलान बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के व वेदराम वादी सायल 1/3 हिस्सा मे व मुकेश व महेश जो कि स्वयं रुपराम के पुत्र है 1/3 हिस्सा में विरासतन खातेदार होगें। इस प्रकार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा मे केवल 1/3 हिस्सा के खातेदार थे और उनका 1/3 हिस्सा पर ही कब्जा काश्त था लेकिन गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण गैरसायलान सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते थे और वादीगण/रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर नाजायज लाभ उठाना चाहते थे। वदी वजह वादीगण सायलान/रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जो विधिसम्मत रुप से सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.10.2024 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो जबाब पेश किया गया है एवं न ही कोई काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 सायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 आर.टी.एक्ट. के साथ पेश किया जिसे दिनांक 11.07.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर एक पक्षीय बहस सुनकर अस्थायी अन्तरिम निषेधाज्ञा इस आम्र की जारी की कि अप्रार्थीगण वाके ग्राम नौगाया तहसील भरतपुर स्थित खसरा नम्बर 580/0.18, 584/0.17, 585/0.24, 586/0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12, 587/0.15, 1053/0.20, 1055/0.21 को दिनांक 24.08.2011 तक रहन, बय मुन्तकिल नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें, से पावन्द किया जाता है। आदेशिका दिनांक 28.06.2012 के अनुसार पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सहायक कलक्टर भरतपुर में स्थानान्तरित होने से दर्ज रजिस्टर की गयी। आदेशिका दिनांक 12.08.2016 द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश को आगामी तारीख पेशी 29.09.2016 तक बढाया गया। दिनांक 29.09.2016 को कोई आदेशिका अंकित नहीं की गयी। उसके बाद आदेशिका करीब 3 वर्ष बाद 02.08.2019 को अंकित की गयी है जिसमे आगामी तारीख पेशी 18.09.2019 नियत की गयी। दिनांक 18.09.2019 की आदेशिका अंकित की गयी है लेकिन उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गैरसायल सं. 2 महेश द्वारा दिनांक 02.08.2016 को जबाब पेश किया गया है जो आदेशिका दिनांक 02.08.2019 में अंकित किया गया है। गैरसायल सं. 1 मुकेश द्वारा जबाब दिनांक 21.08.2018 को पेश किया गया है जिसे किसी भी आदेशिका में अंकित ही नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका बहुत ही लापरवाह तरीके से अंकित की गयी है। तारीख पेशी 12.08.2016 की आदेशिका अंकित करने के तीन वर्ष बाद आदेशिका 02.08.2019 को अंकित की गयी है। उसके उपरान्त आदेशिका दिनांक 18.09.2019 को अंकित की गयी है जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। उसके उपरान्त करीब 5 वर्ष बाद सीधे ही 20.06.2024 को आदेशिका अंकित कर पत्रावली पर अन्तिम निर्णय पारित कर दिया। इस आदेशिका में यह अंकन किया है कि वकील उभयपक्ष उपस्थित, पत्रावली का अवलोकन किया, उसके बाद निर्णय अंकित किया गया है। यहां पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी हो, ऐसा भी अंकन नहीं है। इस प्रकार 5 वर्ष बाद फाईल तारीख पेशी पर लेकर बिना बहस सुने अन्तिम रुप से निर्णित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है एवं विधि विपरीत है। अतः सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि विधिवत रुप से आदेशिकाओं का अंकन करते हुए, उभयपक्ष की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 11.07.2011 को यथावत रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाना है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिवत रुप से उभयपक्ष को सुनकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष दिनांक 20.04.2026 को पेश होवें।

11. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर